न्यायालय सहायक कलक्टर, (FAST TRACK) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 12 / 2019

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. श्रीमती ममता सोलंकी पत्नी प्रवीण सोलंकी जाति माली, निवासी मेन रोड, हम्मीरपुरा, बाडमेर शहर तहसील व जिला बाडमेर।		1 श्रीमती देवूदेवी पत्नी शंकरसिंह 2 श्रीमती गोमीदेवी पत्नी रेवतसिंह 3 हेमकांता पत्नी शैतानसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी पुराना जाटावास, बाडमेर 4 प्रहलादराम 5 धीराराम पिसरान नारणाराम 6 वीरमाराम 7 धनाराम पिसरान रूगाराम जाति जाट निवासी कुर्जा तहसील व जिला बाड़मेर 8 तहसीलदार बाडमेर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 RTA Act.

उपस्थिति :-

1. श्री मेघाराम चौधरी, वकील वादीनी पक्ष।
2. श्री दानसिंह, वकील प्रतिवादी संख्या 01।

प्राथमिक निर्णय

दिनांक 08/08/23

वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 07 की शामलाती खातेदारी की भूमि मौजा पिण्डियों का तला, पटवार हल्का आटी, तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 39 रकबा 89.00 बीघा भूमि आयी हुई है, जिस पर वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 07 का संयुक्त कब्जा काश्त है। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 के साथ संयुक्त सह- खातेदार कुशलाराम पुत्र केशाराम जाति राईका, निवासी लंगेरा का 1/3 संयुक्त दर्ज था। तत्पश्चात् कुशलाराम के फोत होने पर उसके स्थान पर नामान्तरण दिनांक 20.11.2013 की स्वीकृति अनुसार देराजराम पुत्र रावताराम जाति राईका का नाम दर्ज किया गया, तत्पश्चात् देराजराम पुत्र रावताराम द्वारा अपना सम्पूर्ण 1/3 हिस्सा की 29 बीघा 13 बिस्वा भूमि का बेचान शोभासिंह पुत्र दुर्जनसिंह जाति राजपूत निवासी खारिया (केलनोर) तहसील चौहटन को किया गया, जिसके बाद शोभासिंह ने अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का हस्तांतरण जरिए पंजीबद्ध बेचान दिनांक 24.02.2015 को वादिनी को कर दिया। उक्त पंजीवद्ध बेचान के आधार पर जरिए नामान्तरण वादीनी को इस भूमि में सह-खातेदार दर्ज किया गया। वादग्रस्त भूमि में वादीनी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 व 03 प्रत्येक का 40/1784-40/1784 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 04 व 05 का 257/1784 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 06 व 07 का 257/1784 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा उक्त हिस्से अनुसार पक्षकारान का मौके पर [illegible] आ रहा है एवं वादीनी तथा प्रतिवादीगण संख्या 01 से 07 ने आपसी सहमति से मौके पर बाहमी बंटवाड़ा हिस्से अनुसार कर रखा है तथा पक्षकारान अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर [illegible] करते आ रहे हैं। वादग्रस्त खसरा संख्या 39 रकबा 89 बीघा भूमि में से 29 बीघा 13 बिस्वा भूमि बेचानकर्ता शोभासिंह से क्रय कर मौके पर वादिनी ने सह-खातेदार के रूप में कब्जा प्राप्त किया और जब अपने भू-भाग की नेखमबन्दी हेतु पटवारी से अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.11.25 13:39:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बा...

शुदा भू–भाग के नक्शे की नकल मांगी तब हल्का पटवारी द्वारा अवगत करवाया गया कि बिना विभाजन की डिक्री के नक्शे में वादिनी का क्रयशुदा भू–भाग नहीं दर्षाया जा सकता। अतः मौजा पिण्डियों का तला, पटवार हल्का आटी, तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 39 रकबा 89 बीघा भूमि में वादीनी का 1/3 हिस्सा तथा शेष प्रतिवादीगण 01 से 07 राजस्व रेकर्ड में दर्ज अनुसार पृथक–पृथक घोषित किया जाकर वादीनी का खातेदारी रकबा 29.13 बीघा भूमि शेष प्रतिवादीगण से अलग कर उसका नवीन खसरा नम्बर सृजित कर रेकर्ड खातेदारी में वादीनी का पृथक खाता कायम किया जावे व लठ्ठाट्रेस में तरमीम कर साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाए। लिहाजा मौजा पिण्डियों का तला, पटवार हल्का आटी, तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 39 रकबा 89.00 बीघा भूमि वादीनी का 1/3 हिस्सा घोषित कर उक्तानुसार हिस्सा बाई मिट्स उण्ड बाउण्ड पृथक करवाने की वादीनी अधिकारिनी है।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील प्रतिवादी संख्या 01 उपस्थित। शेष प्रतिवादीगण ईकतरफा।

वकील प्रतिवादी संख्या 01 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 07 की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि मौजा पिण्डियों का तला, पटवार हल्का आटी, तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 36 रकबा 89 बीघा भूमि आई हुई है, जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 07 का संयुक्त कब्जा काश्त है। वादग्रस्त भूमि में वादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा, तथा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा, खातेदारी अधिकारों का आया हुआ है तथा राजस्व रेकर्ड में दर्ज अनुसार हिस्सा पृथक–पृथक घोषित किया जाता है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। लिहाजा मौजा पिण्डियों का तला, पटवार हल्का आटी, तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 39 रकबा 89.00 बीघा भूमि में वादीनी का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा खातेदारी अधिकारों के होने से उक्तानुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड पृथक करवाने का प्रतिवादी संख्या 01 अधिकारी है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीनी ने वाद के समर्थन में वादी स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसे शामिल मिसल किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 जो प्रदर्श–01 है, एवं प्रदर्श–02 पंजीबद्ध बेचान दिनांक 23.02.2015 प्रस्तुत किया गया। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है, लिहाजा मौजा पिण्डियों का तला, पटवार हल्का आटी, तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 39 रकबा 89.00 बीघा भूमि में वादीनी का 1/3 हिस्सा बाई–मिट्स एण्ड बाउण्ड पृथक करवाने की वादीनी अधिकारी है। वकील वादीनी का वाद एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम एवं जवाब अनुसार प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.11.25 13:39:23 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त वादीनी का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम एवं जवाब अनुसार प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा पिण्डियों का तला, पटवार हल्का आटी, तहसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 39 रकबा 89.00 बीघा भूमि में वादीनी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/3 हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड नियम 18 से 21 की पालना करते हुए स्वंय मौके पर उपस्थित होकर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के नवीनतम निर्देशों की पालना करते हुए पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि पक्षकारान एवं मौत बिरान की उपस्थिति में विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर एक माह में उपलब्ध करवाये। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। प्राथमिक डिक्री जारी हो। कमीश्नर शुल्क रू. 1500/– निर्धारित की जाती है जो वादी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी।

(समदरसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 08/08/23 को सरें इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2024.11.25 13:39:23 IST
Reason: SelfAttested